<u>परेषण निर्यात पॉलिसी</u>

1) परेषण पॉलिसी को आरंभ करने की क्या आवश्यकता है ?

आर्थिक उदारीकरण एवं व्यापार व वाणिज्य के लिए अंतरराष्ट्रीय बाधाओं को क्रमिक रुप से हटाए जाने के फलस्वरुप अच्छे किस्म के माल के भारतीय निर्याकों के लिए निर्यात अवसरों के विभिन्न नए मार्ग खुल रहे हैं । भारतीय निर्यातकों द्वारा बढ़ती हुई मात्रा में अपनाई जाने वाली पद्धतियों में से एक है परेषण निर्यात जहाँ माल का पोतलदान किया जाता है जहाँ माल को पोतलदान कर विदेश में स्टॉक कर उसे तैयार रखा जाता है ताकि जैसे ही ऑर्डर प्राप्त होता है विदेशी खरीदार को विक्री की जा सके । अंतिम खरीदार को माल की बिक्री के समय भारतीय निर्यातकों की संभावित हानि से रक्षा के लिए परेषण पॉलिसी रक्षा आरंभ करने का निर्णय लिया गया ।

2) ई सी जी सी के पास उपलब्ध परेषण पॉलिसी रक्षा के कितने प्रकार हैं ?

परेषण निर्यातों की रक्षा के लिए दो प्रकार की पॉलिसियाँ उपलब्ध है जैसे;

1) परेषण निर्यात (स्टॉक धारक एजेंट) पॉलिसी
2) परेषण निर्यात (विश्वव्यापी कंपनी) पॉलिसी

3) किन परिस्थितियों में परेषण निर्यात (स्टॉकधारक एजेंट) पॉलिसी रक्षा प्राप्त की जा सकती है ?

परेषण निर्यात (स्टॉक धारक एजेंट) पॉलिसी प्रत्येक निर्यातक स्टॉकधारक एजेंट संयोजन के लिए उचित है बशर्ते कि निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाए ।

(क) एजेंसी समझौते के अनुकरण में विविध वस्तु का पोतलदान विदेशी कंपनी को किया गया है ;

(ख) विदेशी एजेंट एक स्वतंत्र व अलग कंपनी हो व उसका निर्यातक के साथ किसी प्रकार का सहयोगी संस्था का संबंध न हो

(ग) एजेंट के दायित्व निम्नानुसार में से कोई भी अथवा सभी हो सकते हैं जैसे पोतलदान प्राप्त करना, माल को स्टॉक में रखना, अंतिम खरीदारों की खोज व उसके प्रधान (निर्यातक) के निर्देशों यदि कोई हो तो, के अनुसार उन्हें माल बेचना ; तथा

(घ) बिक्री पूर्ण होने पर कमीशन अथवा उसी तरह का कोई अन्य लाभ पर विचार करते समय एजेंट द्वारा की जानेवाली बिक्री का जोखिम निर्यातक पर तथा उसके पक्ष में होगा (भले ही इस प्रकार की बिक्रियाँ एजेंट के स्वयं के नाम पर हो अथवा अन्य के नाम पर)

4) उपर्युक्त परिस्थिति में पॉलिसी के अंतर्गत किन विभिन्न जोखिमों के संयोजन को रक्षा प्रदान की जा सकती है ?

निर्यातकों के विकल्प के पर परेषण निर्यात (स्टॉकधारक एजेंट) पॉलिसी के अधीन संरक्षित जोखिमों के विभिन्न संयोजन निम्नानुसार हैं :

(i) स्टॉक धारक एजेंट एवं अंतिम खरीदार दोनों पर पूर्ण अवधि के लिए राजनीतिक जोखिमों के साथ वाणिज्यिक जोखिम

(ii) केवल अंतिम खरीदारों पर पूर्ण अवधि के लिए राजनीतिक जोखिमों के साथ वाणिज्यिक जोखिम

(iii) केवल स्टॉक धारक एजेंटों पर सम्पूर्ण अवधि के लिए राजनीतिक जोखिमों के साथ वाणिज्यिक जोखिम

(iv) सम्पूर्ण अवधि के लिए केवल राजनीतिक जोखिम

5) किन परिस्थितियों में परेषण निर्यात (विश्वव्यापी कंपनी) पॉलिसी रक्षा प्राप्त की जा सकती है ?

प्रत्येक निर्यातक-विश्व व्यापी कंपनी संयोजन के लिए परेषण निर्यात (विश्वव्यापी कंपनी) पॉलिसी प्राप्त की जा सकती है बशर्ते कि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करे :

क) विविध वस्तुओं को विदेशी पार्टी को स्टॉक में रखने के लिए पोतलदान किया जाता है जो लिखित अथवा अलिखित समझौते के अधीन माल को प्राप्त कर उसे स्टॉक में रखता है ;

ख) विदेशी पार्टी, निर्यातक का स्वयं का शाखा कार्यालय / प्राधिकृत प्रतिनिधि/ माल गोदाम एजेंट / सहयोगी अथवा सहयोगी संस्था / सहायक कार्यालय हो सकते हैं ;

ग) विदेशी पार्टी, के दायित्व के उनकी कानूनी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कोई भी अथवा सभी हो सकते हैं जैसे पोतलदान को प्राप्त करना, माल को स्टॉक में रखना, अंतिम खरीदार की खोज कर उन्हें उसके प्रधान (निर्यातक) के निर्देशों, यदि कोई हो तो, के अनुसार माल बेचना ;

घ) आवश्यक नहीं है कि विदेशी पार्टी द्वारा की गई बिक्रियाँ निर्यातक के जोखिम पर हो अथवा उसके पक्ष में हो ;

6) परेषण निर्यात (विश्वव्यापी कंपनी) पॉलिसी के अंतर्गत जोखिमों के किन समन्वयों पर रक्षा प्रदान की जा सकती है ?

परेषण निर्यात (विश्वव्यापी कंपनी) पॉलिसी के अंतर्गत जिन जोखिम संयोजनों पर रक्षा प्रदान की जा सकती है वे निम्नानुसार हैं :

(i) केवल अंतिम खरीदारों पर सम्पूर्ण अवधि के लिए राजनीतिक जोखिमों के साथ वाणिज्यिक जोखिम

(ii) सम्पूर्ण अवधि के लिए केवल राजनीतिक जोखिम

तथापि , ऐसे मामलों में जहाँ मध्यवर्ती संस्था निर्यातक की सहयोगी संस्था हो व निर्यातक व सहयोगी संस्था दोनों संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ हों जिसमें सहयोगी संस्था की पूंजी में निर्यातक का हिस्सा 49%से अधिक नहीं है, ऐसी स्थिति में जोखिमों के निम्नलिखित संयोजनों पर रक्षा प्रदान की जा सकती हैं ;

(iii) विश्वव्यापी कंपनी का दिवालियापन एवं अंतिम खरीदारों पर सम्पूर्ण अवधि के लिए राजनीतिक जोखिमों के साथ वाणिज्यिक जोखिम

(iv) सम्पूर्ण अवधि के लिए राजनीतिक जोखिमों के साथ विश्वव्यापी कंपनी का दिवालियापन

7) परेषण निर्यात पॉलिसी के लिए लागू प्रीमियम दरें क्या हैं ?

अलग अलग जोखिमों के समूह पर रक्षा के लिए अलग प्रीमियम दरें दी गई हैं । दर्शाई गई मूलभूत दरें केवल तब तक लागू होंगी जब तक किए गए पोतलदानों के लिए अदायगी पोतलदान के 360 दिनों के भीतर भारत में प्राप्त होंगी । यदि 360 दिनों के भीतर पोतलदान पर भुगतान की वसूली करना संभव नहीं हो तो निर्यातक को विस्तार के लिए आवेदन करना होगा, जो कि अगले 180 दिनों के लिए प्रदान किया जा सकता है ,जिस पर निगम द्वारा दी गई सूचना अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम की अदायगी करनी होगी । प्रत्येक मामले में लागू प्रीमियम दर, मध्यवर्ती संस्था के देश वर्गीकरण पर आधारित होगा बशर्ते कि सभी अंतिम खरीदारों को की गई बिक्रियाँ उसी देश में अथवा उसी समान अथवा बेहतर वर्गीकरण वाले देशों में की गईं हों । किंतु यदि कुछ अंतिम बिक्रियाँ अधिक जोखिमों में वर्गीकृत देशों में की गईं हों तो विभिन्न देश समूहों में परिकल्पित बिक्रियों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए कोट की गई दर लागू होंगी; किंतु ऐसे मामलों में प्रीमियम दरें, मध्यवर्ती संस्था के देश से एक स्तर कम वाले देश के लिए लागू दर से अधिक नहीं होगी ।

उदाहरण : परेषण निर्यात (स्टॉक धारक एजेंट) पॉलिसी के मामले में, स्टॉक धारक एजेंट एवं सभी अंतिम खरीदार ए 1 श्रेणी वाले देशों में स्थित हैं । एजेंट व अंतिम खरीदारों दोनों पर सम्पूर्ण अवधि के लिए राजनीतिक जोखिमों के साथ वाणिज्यिक जोखिमों को रक्षा प्रदान करने के लिए प्रीमियम दर प्रति 100/- रु पर 90 पैसे होगी । किंतु यदि एजेंट ए 1 देश में हो व अंतिम खरीदार ए 1,ए 2, बी 1आदि देशों में हों तो उपर्युक्त जोखिमों पर रक्षा के लिए प्रीमियम दर 90 पैसे से 140 पैसे के बीच निर्धारित की जाएगी , निश्चित दर विभिन्न देश समूहों में परिकल्पित बिक्रियों के अनुपात पर आधारित होगी ।

8) प्रीमियम की अदायगी एवं पोतलदान घोषणा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है ?

प्रीमियम के गणना का निर्धारण परिकल्पित पण्यावर्त के आधार पर की गई गणना के अनुसार तिमाही या मासिक आधार (निर्यातक द्वारा चुने हुए विकल्प अनुसार) अग्रिम जमा प्रीमियम द्वारा किया जाएगा तथा बाद में वास्तव में की गई रिपोर्ट के आधार पर उसका विनियोग किया जाएगा । प्रथम तिमाही (अथवा मासिक) के लिए

प्रीमियम का भुगतान, प्रीमियम मंगाए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक है । बाद की तिमाहियों (माहों) के लिए संबंधित तिमाही (माह) के आरंभ होने से 15 दिनों के भीतर पूर्व की तिमाही (माह) के लिए अदा किए गए कम अथवा अधिक प्रीमियम के समायोजन के पश्चात परिकल्पित पण्यावर्त के आधार पर प्रीमियम भेजा जाना चाहिए । प्रत्येक तिमाही (माह) के दौरान निर्यातक को सुनिश्चित करना होगा कि किए जानेवाले पोतलदानों पर रक्षा के लिए पर्याप्त प्रीमियम उपलब्ध है । जब वास्तविक पोतलदानों के परिकल्पना से अधिक होने की संभावना हों निर्यातक द्वारा अविलंब, पोतलदानों पर रक्षा के लिए पर्याप्त राशि निगम के पास उसके प्रीमियम खाते में जमा करनी होगी । प्रीमियम की अदायगी के लिए निर्यातक द्वारा चुनी गई अवधि पर ध्यान दिए बिना पॉलिसीधारक के लिए आवश्यक है कि वे निर्धारित प्रारुप में मासिक घोषणाएं प्रस्तुत करें ।

9) परेषण निर्यात पॉलिसी के अंतर्गत साख सीमाएं व विवेकाधीन साख सीमाएं कैसे निर्धारित की जाती हैं ?

स्टॉक धारक एजेंट पर साख सीमा, परेषण निर्यात (स्टॉकधारक एजेंट) पॉलिसी जारी करते समय निर्धारित की जाएगी । दोनों ही प्रकार की पॉलिसियों के संबंध में अंतिम खरीदारों पर वाणिज्यिक जोखिमों पर रक्षा हेतु निर्यातक को पूर्वनिर्धारित सीमा तक उन सभी पर विवेकाधीन सीमाओं का लाभ प्राप्त होगा, इस सीमा से अधिक की आवश्यकताओं के लिए निर्यातक को निगम से साख सीमा का अनुमोदन प्राप्त करना होगा । विवेकाधीन सीमा पॉलिसी जारी करते समय निर्धारित की जाती है । इस प्रकार की सीमा का निर्धारण प्रत्येक मामले में अलग से किया जाएगा जो विश्वव्यापी कंपनी / स्टॉक धारक एजेंट के ज़रिए परिकल्पित वार्षिक बिक्री के 5% से कम होगी जो कि न्यूनतम 10 लाख रु व अधिकतम 100 लाख रु के अधीन होगा । विवेकाधीन सीमा केवल खुली रक्षावाले देशों में स्थित अंतिम खरीदारों के लिए लागू होगी न कि प्रतिबंधित रक्षावाले देशों (समूह । व ।।) के लिए । ई सी जी सी के प्रतिकूल नोटिस में आए खरीदारों के संबंध में विवेकाधीन सीमा उपलब्ध नहीं होगी । यह जानकारी निगम के वेबसाईट में उपलब्ध होगी एवं पॉलिसीधारक वेबसाईट से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । तथापि यदि किसी पॉलिसीधारक को यह वेब साईट खोलने में कोई कठिनाई हो तो वे इस जानकारी के लिए ई सी जी सी के शाखा कार्यालय को संपर्क कर सकते हैं । शाखा कार्यालय द्वारा पॉलिसीधारक को तत्काल आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ।

10) परेषण निर्यात पॉलिसी के अंतर्गत रक्षा का प्रतिशत क्या है ?

सामान्यतया हानि के लिए रक्षा का प्रतिशत ई सी जी सी के पो व्या जो पॉलिसी / निर्यात (पण्यावर्त) पॉलिसीधारक के लिए 90 एवं अन्य के लिए 80 प्रतिशत होगा । तथापि यदि निगम एवं पॉलिसीधारक चाहें तो उनके आपसी समझौते के आधार पर पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम में अनुपातिक कटौती कर बीमाकृत द्वारा हानि के अधिक हिस्से को वहन करने का प्रावधान किया जा सकता है ।

11) निर्यात प्राप्तियों की वसूली की समय सीमा क्या है ?

यदि भारत से किए गए पोतलदान के लिए पोतलदान की तारीख से 360 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त हो तो मूलभूत प्रीमियम दरें लागू होंगी व वे एजेंट/मध्यवर्ती संस्था तथा /अथवा अंतिम खरीदारों को अनुमत ऋण की अवधि से मुक्त होगें । जैसे ही भारत से पोतलदान किया जाए इन दरों पर प्रीमियम देय होगा । यह निर्णय लेने के लिए कि पोतलदान विशेष पर भारत में अदायगी 360 दिनों के भीतर प्राप्त हुई है अथवा नहीं "क्रय क्रम मूल्यन" (फीफो) सिद्धांत अपनाया जाएगा । यह महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्यातक कई पोतलदान करता है व अलग अलग समय पर उन्हें पर भारत में भुगतान प्राप्त होता है, यह आवश्यक नहीं है इनमें से कुछ अथवा सभी भुगतान विशिष्ट तौर पर पोतलदान विशेष से संबंधित हो ।

12) परेषण निर्यात पॉलिसी के अंतर्गत निर्यातक कब दावा दायर कर सकता है ?

पॉलिसियों के अंतर्गत संरक्षित किन्हीं भी जोखिमों से उत्पन्न हानियों पर दावे, भारत में बिक्री प्राप्तियों की वसूली के लिए देय तारीख (अथवा विस्तारित देय तारीख) से दो वर्षों की अवधि के भीतर दायर किए जाने चाहिए । दावे यदि कोई हो तो पर कार्यवाही करते समय निर्यातक द्वारा मध्यवर्ती संस्था(स्टॉक धारक एजेंट अथवा विश्वव्यापी कंपनी) को प्रस्तुत इन्वॉइस में उल्लिखित इकाई मूल्य की गणना करते हुए हानि का निर्धारण किया जाएगा । अन्तरराष्ट्रीय बाजार में यदि बाजार घट-बढ के कारण इकाई मूल्य घट जाता है तो घटी हुई कीमत पर गणना की जाएगी । तथापि यदि अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हुई हो तो इन्वॉइस में उल्लिखित इकाई मूल्य के आधार गणना किए गए मूल्य अथवा घोषित मूल्य जो भी कम हो, तक निगम की देयता सीमित होगी ।